

**ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, विकास खंड रैत, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के
लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग —एक**

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या: पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक 7-4-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री गोरख चंद	1-4-14 से 22-1-16
2	श्री नरेश कुमार	23-1-16 से 31-3-17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुमन कुमारी	01-04-2014 से 22-07-2015
2	श्री विपिन कुमार	23-07-2015 से 31-03-17

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर	0.04
2	7	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	0.04
3	11	अनुदान राशियों का अवरोधन	6.53
4	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.65

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.11.17 से 27.11.17 तक ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2015, 02/2016, 08/2016 व 12/2014, 07/2015, 08/2016 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला-09 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या-91 दिनांक 27.1.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भारूपलाहड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

4.1 स्व-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़ के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	86570	33523	120093	10489	109604

2015—16	109604	39411	149015	13072	135943
2016—17	135943	61948	197891	78498	119393

अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	209180	1082538	1291718	1018770	272948
2015—16	272948	986211	1259159	703398	555761
2016—17	555761	1218657	1774418	1121850	652568
				कुल योग	₹771961

दिनांक 31.03.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक	अनुदान	राशि
1	50051515666	के.सी.सी.लपियाना	सभा फण्ड	36434
2	20040016672	के.सी.सी.लपियाना	3rd state	15621
3	50055245548	के.सी.सी.लपियाना	VKVN	4217
4	50051515611	के.सी.सी.लपियाना	14th FC	700643
5	50051515815	के.सी.सी.लपियाना	ICDS	9702
हस्तागत राशि				887
कुल योग				₹767504

अन्तर ₹771961-₹767504=₹4457

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.04 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भारूपलाहड़ द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-17 को रोकड बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹4457 (विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में) का अन्तर बैंक पास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही व वर्गीकृत सार का रख रखाव नियमानुसार न करना

(क) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियाँ उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, में रोकड़ बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय व दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी तथा प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए ।

7 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.04 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भारूपलाहड़ द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क नहीं वसूला जा रहा है जिसके फलस्वरूप पंचायत को निम्नविवरणानुसार ₹3715 के पंचायत राजस्व की हानि हुई है। अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इसकी वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वर्ष	विवाह पंजीकरण रजिस्टर पृ0 स0	पंजीकृत विवाह	दर	राशि
2014-15	26- 27	11	₹5	55
2015-16	27-28	11	₹5	55
2016-17	29-30	01 (24-06-16 तक) 18 (03-08-16 से आगे)	₹5 ₹200	05 ₹3600
कुल योग				₹3715

8 गृह कर ₹700 वसूली हेतु शेष

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़ की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक चयनित मासों की आय रसीदों की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत ने निम्न विवरणानुसार ₹700 गृह शुल्क की कम वसूली की गई है जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए :-

क्रम संख्या	रसीद संख्या	दिनांक	रो.बही पृष्ठ संख्या	वसूल की गई राशि	वसूली योग्य राशि	कम वसूल की गई राशि
1.	16313 -	08-02-	72	3@50=150	3@70=210	60
	16315	16	72	32@50=1600	32@70=2240	640
2	16317-	08-02-				
	16348	16				
कुल योग						₹700

नोट :- पंचायत द्वारा उक्त दर्शाई गई गृह कर कि कटौती प्रति रसीद 2 वर्षों के लिये की गई है ।

9 अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे:-

ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, में निम्न वाउचर जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए जिन्हें आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाए

क्रम संख्या	दिनांक	वाउचर संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि
1	04-08-16	14	90	16140
2	03-08-16	23	86	24000
कुल योग				₹40140

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करना:-

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

11 अनुदान ₹6.53 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बंधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹652568 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि

पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए ।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.65 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं । चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹65120 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना ही किया गया जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके । इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में भी इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

13 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए । रजिस्ट्रों का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- 1 स्टॉक रजिस्टर
- 2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 3 जल प्रभार रजिस्टर
- 4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 7 गृह कर वसूली रजिस्टर

- 8 डाक टिकट रजिस्टर
9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि ।

14 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार भण्डार का सत्यापन नहीं किया गया है जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15 विविध अनियमितताएँ:—

- 15.1** ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है ।
- 15.2** निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार, आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायलटी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है ।
- 15.3** पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है । अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
- 16 लघु आपत्ति विवरणिका:—** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है ।
- 17 निष्कर्ष:—** लेखों के रखरखाव में हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है । यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओ के रखरखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2) 163 / 2017 खण्ड-1-2678-2681 दिनांक
17.04.2018 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा हि0प्र0।
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत भारूपलाहड़, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं0 0177-2620881